कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

उपस्थितः— श्री अनिल संत, कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।

प्रार्थी :— **सर्वश्री प्रेम इलेक्ट्रिक एण्ड आटो कार्पो0, पुरी फ्लैट नं0—1, अपोजिट कालाकंकर हाउस ओल्ड हैदराबाद, लखनऊ ।**

प्रा0प0सं0— **17/2009**

प्रार्थी की ओर से— **श्री सुशील पार्टनर ।**

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008की धारा—59 के अर्न्तगतनिर्णय

।— प्रार्थी द्वारा दिनांक 13—02—2009 को उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा—59 के अर्न्तगत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसमें बैटरी चार्जर पर कर की दर की जानकारी चाही गयी है।

2— व्यापारी के प्रार्थना पत्र पर एडिशनल कमिश्नर ग्रेड—। वाणिज्य कर, **लखनऊ** जोन, **लखनऊ** द्वारा अपने पत्रांक 521 दिनांक 03—03—09 से प्रेषित आख्या में कहा गया है कि बैटरी चार्जर किसी शेडयूल मे विज्ञाप्ति न होने के कारण अवर्गीकृत मानते हुए 12.5 प्रतिशत की दर से करयोग्य मानना उचित है।

3— धारा—59 के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई हेतु श्री **सुशील पार्टनर** उपस्थित हुए व उनके द्वारा बताया गया कि बैटरी चार्जर, इर्न्वटर, यू0पी0एस0, स्टेब्लाइजर पर कर की दर 4 प्रतिशत होनी चाहिए ।

4— मैनें व्यापारी के धारा—59 के प्रार्थना पत्र में उल्लिखित तथ्यों एवं प्राप्त विभागीय आख्या व प्रस्तुत तर्को का परिशीलन किया। बैटरी चार्जर वैट अधिनियम की अनुसुची । से 4 तक में विज्ञापित वस्तुओं में सम्मिलित नहीं है। इसलिए अनुसूची 1, 2, 3, 4 के अन्तर्गत नहीं आता है। अतः बैटरी चार्जर 12.5 प्रतिशत की दर से करयोग्य होगा ।

5— प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा—59 के प्रार्थना पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है।

6— इस निर्णय की एक प्रति प्रार्थी को तथा एक प्रति सम्बन्धित कर निर्धारक अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाय।

दिनांक :: 20 मार्च, 2008

ह0/20—3—09

(अनिल संत)
कमिश्नर वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।